रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9, 1982 (पौष 19, 1903)
No. 2] NEW DELHI SATURDAY, JANUARY 9, 1982 (PAUSA 19, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that if may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनायें | 5 |
| भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें | 29 |
| भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनायें | — |
| भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें | 25 |
| भाग II—खण्ड 1—अधिनियम अध्यादेश और विनियम | * |
| भाग II—खण्ड का 1—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ | * |
| भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनायें | * |
| भाग II—खण्ड 3(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होने हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश | * |
| भाग III—खण्ड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें | 197 |
| भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें और नोटिस | 9 |
| भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें | — |
| भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनायें (जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, आदेश, विज्ञापन और नोटस शामिल हैं | 525 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस | 9 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक | * |


*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

# CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. 5

PART I—SECTION 2. Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. .. .. 29

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officer's issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. 25

PART II—SECTION 1.- Acts Ordinances and Regulations .. .. .. .. *

PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. *

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. .. *

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorites (other than the Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 3 (iii). —Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) .. .. .. .. *

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. .. *

PART III—SECTION 1.- Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .. 197

PART III—SECTION 2.- Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 9

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. .. —

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. 525

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. 9

PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi .. *

Follio Nos. not received

# भाग I—खण्ड 1

# PRAT I—SECTION 1

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministries of Defence) and by the Ministry of Defence]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1981

सं. 70-प्रेज/81—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शिवकुमार तिवारी, (मरणोपरांत)
ड्राइवर कांस्टेबल,
जिला नवादा,
बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2 मार्च, 1979 को जब श्री शिवकुमार तिवारी, ड्राइवर कांस्टेबल, जिला नवादा, नवादा-सिकन्द्रा रोड पर एक जीप में गश्ती ड्यूटी पर थे, तो उन्होंने एक प्राइवेट बस को कचाना मोड़ पर रुकते हुए देखा। गश्ती दल को संदेह हुआ और वह खड़ी बस की ओर तेजी से बढ़ा । वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि डाकू बस के यात्रियों का सामान लूट रहे थे । श्री तिवारी ने जीप को बस के पीछे खड़ा कर दिया । उन्होंने पुलिस दल के साथ बस से निकलने वाले दरवाजे को घेर लिया । वे बस के मुख्य द्वार पर पहुंचे और अपराधियों को बस से बाहर निकलने से रोका । इस पर डाकुओं ने गोली चलाना शुरू कर दिया । फिर भी श्री तिवारी विचलित नहीं हुए और भागते हुए अपराधियों में से एक को पकड़ लिया । जब अपराधियों ने देखा कि श्री तिवारी ने उनमें से एक को पकड़ लिया है, तो एक अपराधी ने श्री तिवारी पर गोली चला दी, जो उनकी गरदन पर लगी और जिसके परिणामस्वरूप वे गिर पड़े और बाद में जख्मों के कारण उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई । पुलिस दल के हवलदार ने एक गोली चलाई जो एक अपराधी को लगी। पुलिस दल ने काफी हाथापाई के बाद तीन डाकुओं को पकड़ लिया

श्री शिव कुमार तिवारी ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 मार्च, 1979 से दिया जाएगा ।

सं. 71-प्रेज/81—राष्ट्रपति केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कुल बहादुर गुरंग,
हैड सिक्योरिटी गार्ड सं. 7214641
बोकारो स्टील प्लांट,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15 जुलाई, 1980 की रात को लगभग 1.00 बजे जब श्री कुल बहादुर गुरंग को बोकारो स्टील प्लांट के मेन स्टैप डाउन स्टेशन-1 और स्टील मैल्टिंग शाप की जांच करने के लिए तैनात किया गया तो उन्होंने ट्रांसफार्मर आयल रिफाइन/फोर्ज एरिया में आती हुई कुछ आवाजें सुनीं । इस बात की आशंका करते हुए कि शायद कुछ अपराधी क्षेत्र में घुस गए हैं, वे तुरन्त घटना स्थल की ओर गए । वहां पहुंचने पर उन्होंने लगभग छः-सात अपराधियों को देखा जो लोहे की छड़ी, लाठियों और एक देसी रिवाल्वर जैसे घातक हथियारों से लैस थे । अपराधियों की संख्या और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री गुरंग ने अपराधियों को अकेले ही चुनौती दी और उनमें से एक को काबू कर लिया । जब वे पकड़े हुए अपराधी के साथ हाथा-पाई कर रहे थे तो शेष अपराधियों ने उन पर नृशंसता से आघात किये जब तक वे बेहोश होकर न गिर पड़े। फिर अपराधी लोहा काटने की आरी जिसे वे पाईपलाईन काटने के लिए लाये थे छोड़कर भाग निकले ।

श्री कुल बहादुर गुरंग ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए सशस्त्र अपराधियों से सम्पत्ति की रक्षा की ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जुलाई, 1980 से दिया जाएगा ।

सं. 72-प्रेज/81—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम सेवक,
पुलिस उप अधीक्षक,
सर्किल अधिकारी मऊ,
जिला आजमगढ़,
उत्तर प्रदेश ।

श्री ललता सिंह,
प्रभारी निरीक्षक,
थाना मऊ,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

डाकू धर्म सिंह ने आजमगढ़ जिले के पुलिस थाना मऊ के क्षेत्र में डकैतियां डालकर और अन्य जघन्य अपराध करके आतंक उत्पन्न कर रखा था । 13 जून, 1978 को श्री ललता सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना मऊ को सूचना मिली कि डाकू धर्म सिंह

और उसका गिरोह गांव भदेलरा में धर्म सिंह के मामा के मकान में उपस्थित है। श्री ललता सिंह ने यह सूचना शीघ्र ही श्री राम सेवक को भेजी, जो तुरन्त स्थानीय रूप से उपलब्ध पुलिस बल के साथ गांव को चल दिये। गांव के निकट पुलिस बल को दो दलों में विभाजित कर दिया गया जिनमें से एक का नेतृत्व श्री राम सेवक और दूसरे का श्री ललता सिंह कर रहे थे। श्री राम सेवक डाकुओं के छिपने के स्थान पर पश्चिम की ओर से बढ़े जबकि श्री ललता सिंह अपने दल को दक्षिण की ओर से ले गये। यद्यपि पुलिस दल बड़ी सावधानी से बढ़ रहे थे तथापि श्री धर्म सिंह को पुलिस की उपस्थिति का आभास हो गया और जब पुलिस दल को डाकुओं ने अपनी गोली की मार में देखा तो उन पर गोली चला दी। गोली चलने की परवाह न करते हुए श्री राम सेवक और श्री ललता सिंह अपने व्यक्तियों को आगे बढ़ाते रहे और वीरता से उनका नेतृत्व करते रहे। कुछ समय तक गोली बराबर चलती रही और उसके पश्चात् खामोशी छा गई। सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने पर डाकू धर्म सिंह और उसके पुत्र लैफ्टिनेंट आच्छे लाल के शव मिले। गिरोह के अन्य सदस्य बच कर भाग गए।

श्री राम सेवक तथा श्री ललता सिंह ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 जून, 1978 से दिया जाएगा।

सं. 73-प्रेज/81—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गुरदयाल सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं. 412,
जिला फिरोजपुर,
पंजाब।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

21 सितम्बर, 1977 को श्री गुरदयाल सिंह, कांस्टेबल, जिला फिरोजपुर, उस पुलिस दल के साथ थे जिसको आबकारी छापों के संबंध में जिला फिरोजपुर के गांव चंगा कलां में तैनात किया गया था। गांव के सैम-नाला के निकट पहुंच कर छापा मार दल अलग-अलग कर दिया गया और सभी सदस्य एक दूसरे से 50-50 गज की दूरी पर चलने लगे। उनमें से कुछ अपने अपने नाकाबन्दी के स्थानों पर पहुंच चुके थे। इसी दौरान एक व्यक्ति गंडासा और बस्ता लिए हुए गांव की तरफ से आता दिखाई दिया और पुलिस को देखकर वह सैम-नाला के पुल की तरफ भागने लगा। भागते हुए ग्रामीण के इरादे पर संदेह करते हुए श्री गुरदयाल सिंह ने साहस किया तथा अविलम्ब संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया। सैम-नाला के पुल पर पहुंचने पर वे ग्रामीण के पास गये, जिसने अपना बस्ता फेंक दिया और गंडासे से कांस्टेबल गुरदयाल सिंह के सिर पर प्रहार किया जिसके परिणाम-स्वरूप वे गिर गये। अभियुक्त ने श्री गुरदयाल सिंह को जान से मार डालने के उद्देश्य से गंडासे से उनके शरीर पर 2-3 और प्रहार किये। पुलिस दल के अन्य सदस्य कांस्टेबल गुरदयाल सिंह से दूर थे और उसकी रक्षा के लिए नहीं आ सके। उनके एकत्र होने से पहले ही अभियुक्त भाग निकला।

श्री गुरदयाल सिंह ने इस प्रकार वीरता, साहस तथा कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 सितम्बर, 1977 से दिया जाएगा।

सं. 74-प्रेज/81—राष्ट्रपति ग्रेटर बम्बई पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सदाशिव लक्ष्मणराव पाटिय,
पुलिस उप निरीक्षक,
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

21 सितम्बर, 1980 को रात्रि के लगभग 10.15 बजे श्री सदाशिव लक्ष्मणराव पाटिल, पुलिस उप निरीक्षक, ग्रेटर बम्बई, को सूचना मिली कि दो आततायी खतरनाक अपराधी, नामतः आलमजेब जांग्रेज खां और अमीरजादा अमीर नवाब, जो दो वर्ष की अवधि के लिए बम्बई से निष्कासित कर दिए गये थे, और जिन्हें नागपाड़ा थाने की सीमा में सुरती मुहल्ले के इलाके में देखा गया था। श्री पाटिल दो पुलिस निरीक्षकों, एक उप-निरीक्षक और एक कांस्टेबल के साथ तुरन्त सुरती मुहल्ले की ओर रवाना हुए। उन्होंने इस क्षेत्र में तलाश की, परन्तु निष्का-सित व्यक्तियों को ढूंढ़ न सके। उन्होंने अपराधियों के अन्य संभावित अड्डों की खोज की परन्तु वह भी निरर्थक सिद्ध हुई। फिर भी उन्होंने अपराधियों की एक बार फिर तलाश करने का निर्णय लिया। जब वे सुरती मोहल्ले की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में श्री पाटिल ने आलमजेब को मौलाना शौकत अली रोड के साथ-साथ चोरी-छिपे जाते हुए देखा। पुलिस दल रुका और आलमजेब की ओर तेजी से बढ़ा। पुलिस अधिकारियों को अपनी ओर आते देख आलमजेब दो टैंकों के नाम से ज्ञात क्षेत्र की ओर भागने लगा। यह देखकर कि श्री पाटिल उसके नजदीक आते जा रहे हैं, अपराधी ने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाला और पुलिस उप-निरीक्षक की ओर दो राउंड गोलियां चलाईं। फिर भी श्री पाटिल अविचलित रहे और अपराधी का पीछा करते रहे। उन्होंने अपनी रिवालवर निकाली और आलमजेब पर दो राउंड गोलियां चलाईं। फिर श्री पाटिल अपराधी पर झपटे और उसके दाहिने हाथ पर वार किया और रिवाल्वर छीन ली। उसके बाद अपराधी ने पुलिस कांस्टेबल से लाठी छीन ली और श्री पाटिल के घुटने और दाहिने हाथ पर चोटें पहुंचाईं। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए श्री पाटिल ने अपराधी को अपनी पकड़ से जाने नहीं दिया और उसे अन्य अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री सदाशिव लक्ष्मणराव पाटिल ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 सितम्बर, 1980 से दिया जाएगा।

सं. 75-प्रेज/81—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सीता राम पांडेय,
कांस्टेबल सं. 569, सी. पी.,
फतेहगढ़,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री जमुना सिंह, पुलिस उप निरीक्षक और श्री दशरथ सिंह, पुलिस उप निरीक्षक, के नेतृत्व में एक पुलिस दल 29 अगस्त, 1979 को डाकू सोबरन सिंह और विश्राम सिंह और उनके गिरोह के अन्य लोगों के गिरफ्तार करने के लिए गांव भिदिया गया। विश्रामसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि डाकुओं के गिरोह के अन्य सदस्य बच निकले। विश्रामसिंह को पुलिस आउट-पोस्ट सकराबा में ले जाया गया। जब पुलिस कर्मचारी अपनी साइकिलों पर पुलिस आउट-पोस्ट ददौनी की ओर जा रहे थे, तो विश्रामसिंह के सहयोगी रास्ते में उनकी घात में बैठे थे। डाकू सोबरन सिंह ने पुलिस दल को ललकारा और उन पर गोली चला दी। पुलिस कर्मचारी अपनी साइकिलों से उतरे और उन्होंने मोर्चा सम्भाला तथा आत्मरक्षा में डाकुओं पर गोली चलाई। डाकू सोबरन सिंह, जिसके साथ 8 अथवा 9 अन्य डाकू थे, लगातार रुक-रुक कर गोली चलाता रहा। स्थिति की गंभीरता को पूर्णतः समझते हुए और अपने जीवन की परवाह न करते हुए कांस्टेबल सीता राम पांडेय सावधानी पूर्वक आगे बढ़े और डाकुओं को ललकारा। जब वे काफी आगे बढ़ चुके थे, तो बन्दूक की गोली उनके माथे में लगी और वे गिर पड़े। उन्हें तुरन्त अस्पताल ले जाया गया परन्तु चोट के कारण उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई।

श्री सीता राम पाण्डेय ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 अगस्त, 1979 से दिया जाएगा।

सं. 76-प्रेज/81—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को उनकी अति उत्कृष्ट वीरता के लिए "अशोक चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

सैकण्ड लैफ्टिनेंट सायरस एड्डी पीथावाला (एस एस 30122), 17 जाक राइफल्स्।

**पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 6 जुलाई, 1981**

6 जुलाई, 1981 को जब सैकण्ड लैफ्टिनेंट सायरस एड्डी पीथावाला कम्पनी कालम 17 जाक राइफल्स् की कमान कर रहे थे तो उन्हें यह आदेश दिया गया कि वे मणिपुर में टकचम क्षेत्र को घेर लें और उसमें खोज करके वहां बताए गए सशस्त्र उग्रवादियों को बन्दी बना लें।

सैकण्ड लैफ्टिनेंट पीथावाला ने अपने साथियों को लेकर दलदली और दुर्गम भू-भाग को पार करते हुए सात किलोमीटर से अधिक का रास्ता तय किया। जब वे टकचम पहाड़ी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर थे तो उग्रवादियों ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। सैकण्ड लैफ्टिनेंट पीथावाला ने अपनी व्यक्तिगत रक्षा की जरा भी परवाह किए बिना बिजली की गति से उग्रवादियों पर हमला बोल दिया। वे अभी उस इलाके से लगभग 50 मीटर पीछे थे कि उन्होंने एक उग्रवादी को भाग निकलने का प्रयास करते हुए देखा। यद्यपि वे उसे गोली से मार सकते थे तो भी उन्होंने उसे जिन्दा पकड़ने का फैसला किया। भागते हुए उग्रवादी के नजदीक पहुंचने के दौरान उग्रवादियों की एक गोली उनके दायें कन्धे पर आ लगी। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने-आप उग्रवादियों पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व किया और उस भागते हुए उग्रवादी को पकड़ लिया, जो बाद में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सर्वोच्च नेता, विश्वेश्वर सिंह निकला। गम्भीर रूप से घायल होने पर भी उन्होंने वहां से हटाये जाने से इन्कार कर दिया और अगले दिन सुबह 6 बजे तक उस इलाके में उग्रवादियों की खोज की कार्य वाही का नेतृत्व करते रहे। इस कार्यवाही के फलस्वरूप सात उग्रवादी मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए।

सैकण्ड लैफ्टिनेंट सायरस एड्डी पीथावाला ने इस प्रकार उच्चतम कोटि की वीरता और असाधारण तथा प्रेरणात्मक नेतृत्व का परिचय दिया।

सं. 77-प्रेज/81—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री श्रीधर मंडल,
पुलिस उप निरीक्षक,
धनबाद,
बिहार।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।**

12 मार्च, 1979 को शाम के लगभग 7.05 बजे झरिया थाने को सूचना मिली कि पांडुडीरपाड़ा के श्री केशर सोनार के मकान में डकैती डाली जा रही थी। निरीक्षक श्री आर. एन. सिंह पुलिस टुकड़ियों के साथ तुरन्त घटना स्थल की ओर बढ़े जिनमें से एक टुकड़ी का नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे तथा दूसरी का नेतृत्व उप निरीक्षक श्री श्रीधर मंडल कर रहे थे। श्री मंडल अपने दल के साथ घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचे और डाकुओं को ललकारा। डाकुओं में से एक ने श्री श्रीधर मंडल की ओर अपनी बन्दूक का निशाना बनाया और गोली चलाई परन्तु श्री मंडल अपने को गोली के वार से बचाने में सफल हो गये। बदले में श्री मंडल ने अपनी रिवाल्वर से गोली चलाई और डाकू को घायल कर दिया और जिससे वह चीख उठा। डाकुओं ने पुलिस दल पर तीन बम फैंके। इस बीच श्री आर. एन. सिंह भी घटना स्थल पर पहुंच गये। मकान के बाहर उपस्थित दो डाकुओं ने अन्य डाकुओं को पुलिस के पहुंचने की शोर मचाकर चेतावनी दे दी। श्री मंडल की गोली से घायल डाकू ने बचकर भागने का प्रयास किया, परन्तु श्री मंडल उस पर टूट पड़े और उसके साथ हाथा-पाई करने लगे। श्री मंडल बरामद करने में सफल हुए परन्तु डाकू उनकी पकड़ से निकल कर भाग गया। श्री मंडल की बांह बुरी तरह घायल थी। अन्य डाकुओं ने भी बचकर भागने की कोशिश में पुलिस पर गोली चलाई परन्तु पुलिस लगातार उनका पीछा करती रही। श्री मंडल की गोली से घायल डाकू बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उस डाकू से स्टेनलैस स्टील का एक छोटा सा बाक्स जिसमें सोने के जेवरात और कई गहने थे, बरामद किया गया।

श्री श्रीधर मंडल ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व, साहस और कर्त्तव्यपरायणता कर परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 मार्च, 1979 से दिया जाएगा।

दिनांक 31 दिसम्बर 1981

सं. 78-प्रेज/81—दिनांक 3 फरवरी, 1979 के भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 के पृष्ठ 78 पर प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की दिनांक 26 जनवरी, 1979 की अधिसूचना सं. 2-प्रेज/79 के तहत मदुरै साउथ, तमिलनाडु के पुलिस इंस्पेक्टर, श्री सुब्बू नायडू सेतुरामस्वामी को सराहनीय सेवा के लिए 1979 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया पुलिस पदक एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और इसके स्थान पर राष्ट्रपति उक्त श्री सुब्बू नायडू सेतुरामस्वामी को सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक का बार प्रदान करते हैं।

सू. नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

---

गृह मन्त्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 दिसम्बर 1981

सं० 13019/1/81-जी० पी०-II—इस मंत्रालय की 12 अक्तूबर, 1981 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति, 1-12-1981 से 30-11-1982 तक की अवधि के लिए चण्डीगढ़ संघ राज्य के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति का गठन करते हैं। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़ प्रशासन
2. संसद सदस्य
   श्री जगन नाथ कौशल
   221/9-सी, चण्डीगढ़
3. कुलपति
   पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
4. निदेशक, पी० जी० आई०
5. श्री भोपाल सिंह,
   2018, सैक्टर-20-सी, चण्डीगढ़।
6. सरदार जोगिन्दर सिंह साहनी,
   564, सैक्टर 18-बी, चण्डीगढ़।
7. श्री श्रीचन्द गोयल, भूतपूर्व संसद सदस्य,
   सैक्टर 10, चण्डीगढ़
8. श्री हरदेव सिंह छिना,
   सेक्टर 20, चण्डीगढ़।
9. श्री केदार नाथ शर्मा,
10. श्री हरभजन सिंह ओसहान
    373, सेक्टर 20-ए, चण्डीगढ़।
11. श्री दौलत राम शर्मा
12. श्री चमन लाल शर्मा, एडवोकेट
    आयकर प्रेक्टीशनर,
    चण्डीगढ़।
13. श्री सरदूल सिंह सिद्धू
    235, सेक्टर 19ए, चण्डीगढ़।
14. श्री बी० पी० बहल
15. श्रीमती रवि लाल पत्नी श्री तरसेम लाल
    2163, सेक्टर 35,
    चण्डीगढ़।
16. श्री लछमन सिंह (सैनी)
    सैक्टर 20,
    चण्डीगढ़।
17. श्रीमती प्रीतपाल कौर बनू,
    भूतपूर्व एम० एल० सी०,
    86 सैक्टर 2, चण्डीगढ़
    महासचिव,
    अखिल भारतीय महिला सम्मेलन,
    पंजाब शाखा।
18. श्री धर्मवीर सहगल,
    एडवोकेट,
    अध्यक्ष, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन,
19. श्री प्रीतम सिंह, उद्योग पति
    68, सेक्टर-8, चण्डीगढ़।
20. श्रीमती शकुन्तला भाटिया,
    313, सेक्टर, 9-डी, चण्डीगढ़।
21. श्री सुखवन्त सिंह,
    अध्यक्ष, लघु उद्योगपति संघ
    1136, सेक्टर 34, चण्डीगढ़।
22. डा० जे० बी० ओ० कास्ट्रो,
    4, सेक्टर, 20-ए, चण्डीगढ़।
23. श्री जसवन्त सिंह,
    अध्यक्ष सचिवालय अधीनस्थ सेवा कर्मचारी
    संघ, चण्डीगढ़।
24. श्री अमरजीत सिंह सेठी,
    चण्डीगढ़।
25. डा० हरिवंश शर्मा,
    (आयुर्वेदिक) (पी० एच० डी०)
    सेक्टर 22-सी, चण्डीगढ़।
26. श्री हरकिशन राय बन्सल,
    बन्सल मोटर्स, सेक्टर 28,
    चण्डीगढ़।

एम० सी० शर्मा, उप सचिव।

---

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 1981

संकल्प

सं० 14016/1/77-पी० सी० III—भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 मार्च 1981 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित संकल्प द्वारा योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० जी० बी० के० राव की अध्यक्षता में कृषि में प्लास्टिक्स के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को उपर्युक्त समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाये :

1. श्री एम० शंकरनारायणन,
   संयुक्त सचिव,
   कृषि विभाग,
   नई दिल्ली।
2. श्री एम० सी० वर्गीस,
   परामर्शदाता, रसायन इंजीनियर,
   60, टेलरस रोड,
   किलपाक,
   मद्रास-600010।
3. डा० के० अघोरमूर्ति,
   सलाहकार (रसायन एवं पैट्रो-रसायन),
   नई दिल्ली। पैट्रोलियम विभाग में
   भूतपूर्व सलाहकार (पैट्रो-रसायन)
   श्री एस० एस० सचदेव के स्थान पर।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

पी० पी० गुप्ता, निदेशक।

---

इस्पात और खान मंत्रालय

खान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1981

शुद्धिपत्र

सं० एफ० 23012/99/80-खान-6—भारत के राजपत्र के दिनांक 11 जुलाई, 1981 के भाग I खंड (1) में पृष्ठ 476 पर प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 12 जून, 1981 के संकल्प संख्या एफ 23012/99/80-खान-6 में उप-पैरा (1) में संख्या '7' के लिए संख्या '1' पढ़ें।

ए० के० वेंकट सुब्रह्मण्यन, निदेशक

---

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 1981

संकल्प

सं० 1-1/81-एल० टी० टी०—भारत सरकार पिछले कुछ समय से अश्व विकास से सम्बन्धित विषयों पर तथा उनके लिए अपनायी जाने वाली नीतियों के बारे में विचार करती रही है। अश्व पालकों, उनका उपयोग करने वाले, वैज्ञानिकों तथा अन्य सम्बद्ध पक्षों के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने 1-11-1981 से अश्व विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया है। यह बोर्ड एक परामर्शदात्री निकाय होगा और अश्व विकास, अश्व प्रजनन स्टड का पंजीकरण और इन स्टड प्रजनन फार्मों द्वारा घोड़ों के आयात से सम्बन्धित विषयों पर भारत सरकार को सलाह देगा तथा दौड़ के घोड़ों और अन्य अश्व जातियों पर नियंत्रण रखेगा।

2. अश्व विकास बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष | भारत सरकार के कृषि मंत्री |
| 2. | उपाध्यक्ष | कृषि राज्य-मंत्री (प्रभारी, पशुपालन) |
| 3. | सदस्य | 1. सचिव (कृषि और सहकारिता) वि० |
| | | 2. अपर सचिव—प्रभारी पशु-पालन और व्यापार। |
| | | 3. पशुपालन आयुक्त |
| | | 4. उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| | | 5. निदेशक, अश्वारोही पशुचिकित्सा दल। |
| | | 6 निदेशक, पशुपालन, गुजरात। |
| | | 7. निदेशक, पशुपालन, राजस्थान। |
| | | 8 निदेशक, पशुपालन, हरियाणा। |
| | | 9. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अश्व प्रजनन समिति। |
| | | 10. अध्यक्ष, रायल बैस्टर्न इण्डिया टर्फ क्लब |
| | | 11. अध्यक्ष, रायल कलकत्ता टर्फ क्लब, कलकत्ता। |
| | | 12. जनरल पी० पी० कुमारमंगलम "मल्ली लैण्ड" पशुधन और कृषि फार्म, जलपुरी (तमिलनाडु) |
| | | 13 लैफ्टिनेन्ट जनरल एम० एम० बडालिया, कुलुभ स्टड फार्म, देहली। |
| | | 14 मेजर जनरल ई० हबीबुल्लाह, फिनिक्स स्टड मैदिनपुर, लखनऊ। |
| | | 15 सरदार हरपाल सिंह, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चण्डीगढ़। |
| | | 16. श्री जैड० एस० पूनावाला, पूना स्टड फार्म, मंजरी पूना। |
| 4. | सदस्य सचिव | संयुक्त आयुक्त (पशुधन उत्पादन) |

क्रम संख्या 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, तथा 16 पर दिए गए सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड के सदस्य रहेंगे। क्रम संख्या 6, 7 तथा 8 के स्तर के लिए पशु पालन निदेशक बारी-बारी से सदस्य होंगे तथा क्रम संख्या 13, 14, 15 तथा 16 के स्तर के लिए प्रमुख अश्व प्रजनक बारी-बारी से सदस्य होंगे।

3 बोर्ड में जिन हितों को पहले प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है उनके प्रतिनिधित्व के लिए भारत सरकार समय-समय पर अतिरिक्त सदस्य नामजद कर सकती है।

4 बोर्ड एक परामर्शदात्री निकाय होगा तथा उसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) अश्व विकास से सम्बन्धित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना,

(ख) देश में अश्व प्रजनन स्टडों का पंजीकरण करना। इस पंजीकरण के आधार पर स्टडों के मुताबिक घोड़ों का आयात करने पर विचार किया जा सकता है।

(ग) दौड़ के घोड़ों के प्रजनन तथा देश के अन्य संगठित अश्व प्रजनन कार्यकलापों पर तकनीकी नियन्त्रण रखना तथा विभिन्न प्रयोजनों हेतु अश्व प्रजनन से सम्बन्धित सभी पहलुओं के समन्वय में मन्त्रालय को सक्षम बनाने के लिए निजी स्टडों का पंजीकरण लागू करना।

(घ) विदेशी अश्वों के ताजे खून की आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा घोड़ों के आयात का प्रबन्ध करना;

(ङ) सामान्य उपयोगिता वाले घोड़ों का दर्जा बढ़ाने के लिए आयातित तथा अन्य बढ़िया किस्म के घोड़ों और जिन घोड़ों की दौड़ के लिए आवश्यकता नहीं है, का अधिकतम उपयोग करने के सम्बन्ध में उपाय सुझाना;

(च) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा निर्यात के लिए बढ़िया किस्म के घोड़ों के प्रवर्धन हेतु स्टड फार्मों की स्थापना को प्रोत्साहित करना; और

(छ) भारत सरकार द्वारा बोर्ड को समय-समय पर सौंपा जाने वाला अन्य कोई कार्य।

5 बोर्ड की बैठकें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए गए समय तथा स्थान पर समय समय होती रहेंगी ।

6. अश्व विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर सलाह देने के लिए बोर्ड संकल्प द्वारा समितियां बना सकता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

के० सी० एस० आचार्य, अपर सचिव

---

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 दिसम्बर 1981

सं० 26/6/78 एल० आई०—राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि डाकघर बीमा निधि सम्बन्धी नियमों में तुरन्त ही निम्नलिखित और संशोधन किए जायें, अर्थात् :—

डाकघर बीमा निधि सम्बन्धी नियमों के नियम 19 में:—(क) धारा (i) में, "10,000 रु० से कम के बीमे के लिए" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर "10,000 रु० तक एवं इस राशि सहित तक के बीमे के लिए" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जायें ।

(ख) धारा (ii) में "10,000 रु० एवं अधिक के किसी भी बीमे के लिए" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर "10,000 रु० से अधिक के बीमे के लिए" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जायें ।

(ग) टिप्पणी :—2 में,—

"10,000 रु० एवं अधिक के बीमे के लिए" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर "10,000 रु० से अधिक के बीमे के लिए" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जायें ।

(घ) टिप्पणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"टिप्पणी 3:—एक महिला प्रस्तावक की चिकित्सा जांच तदनुरूपी पद की महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी । 10,000 से अधिक के प्रस्ताव का मामला इसमें शामिल नहीं है जहां उसकी जांच एक महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल अर्हतायें हो । यदि उस स्टेशन अथवा जिले में निर्धारित पद अथवा अर्हतायें वाली महिला चिकित्सा अधिकारी नहीं हो तो महिला प्रस्तावक की जांच, लिखित में उनकी सहमति प्राप्त करके, तदनुरूपी पद और निर्धारित अर्हतायें रखने वाले पुरुष चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाए" ।

एम० आर० ईसरानी, निदेशक (डाक जीवन बीमा)

---

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 दिसम्बर 1981

विषय:—जहाजों पर काम करने वाले केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के कर्मचारियों के कार्य के घंटों की जांच करने के लिए एक समिति बनाना ।

सं० 9-आई० डब्ल्यू० टी० (18)/80-सी० एण्ड ई०—समिति के अध्यक्ष ने इस मंत्रालय से अनुरोध किया है कि समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर, 1981 से एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाए । मामले पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 17-2-1981, 25-4-1981, 29/30-10-1981 और 7-11-1981 द्वारा यथा संशोधित संकल्प सं० 9-आई० डब्ल्यू० टी० (18)/80 सी० एण्ड ई० दिनांक 12-12-80 के पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए :—

"समिति का कार्य काल 7-12-1981 को समाप्त होगा" ।

यशवन्त सिन्हा, संयुक्त सचिव

---

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर 1981

संकल्प

सं० ई० आर० बी० 1/80/21/72—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 10-2-1981 के संकल्प संख्या ई० आर० बी० 80/21/72 के क्रम में भारत सरकार ने निम्नलिखित को भी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य मनोनीत किया है ।

श्रीमती मंजला सिंह,
प्रचार मंत्री,
बिहार राज्य राष्ट्रीय लेखक मंच,
2/26, राजेन्द्र नगर मार्केट,
पटना-8 ।

2 यह भी अधिसूचित किया जाता है कि 10-2-1981 के संकल्प संख्या ई० आर० बी० 1/80/21/72 द्वारा उपर्युक्त समिति के मनोनीत सदस्य, श्री बी० एन० तिवारी का देहान्त हो गया है ।

दिनांक 30 अक्तूबर 1981

संकल्प

सं० ई० आर० बी० 1/80/21/72—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 10-2-1981 के संकल्प सं० ई० आर० बी-1/80/21/72 के क्रम में भारत सरकार ने निम्नलिखित को भी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :—

श्री अरविन्द पति त्रिपाठी,
द्वारपार,
जिला गोरखपुर ।

हिम्मत सिंह, सचिव
रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th December 1981

No. 70-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

*Name and rank of the Officer*

Shri Sheo Kumar Tiwari (*Posthumous*)
Driver Constable,
District Nawada,
Bihar.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 2nd March, 1979, while Shri Sheo Kumar Tiwari, Driver Constable, District Nawada, was on patrol duty in a jeep on Nawada-Sikandra Road, he noticed that a private bus had stopped near Kachana turning. The patrolling party grew suspicious and rushed towards the stationary bus. On reaching there, they found that dacoits were plundering the belongings of the passengers of the bus. Shri Tiwari stopped the jeep behind the bus. He along with the police party surrounded the exit of the bus. He reached the main door of the bus and prevented the criminals from getting out of the bus. At this the dacoits, started firing. Shri Tiwari however, remained undeterred and caught hold of one of the fleeing dacoits. When they noticed that one of them had been caught by Shri Tiwari, one of criminals opened fire at Shri Tiwari which hit him in his neck and as a result thereof he fell down and subsequently succumbed to his injuries in the hospital. The Havildar of the police party opened one round of fire which hit one of the criminals. The police party apprehended three of the dacoits after a great scuffle.

Shri Sheo Kumar Tiwari thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd March, 1979.

No. 71-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Industrial Security Force :—

*Name and rank of the officer*

Shri Kul Bahadur Gurung,
Head Security Guard No. 7214641,
Bokaro Steel Plant,
Central Industrial Security Force.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the night of 15th July, 1980, at about 0100 hour while Shri Kul Bahadur Gurung was detailed to check Main Step Down Station-I and Steel Melting Shop areas of Bokaro Steel Plant, he heard some sound coming from the Transformer Oil Refine/Forge Area. Apprehending that some criminals might have entered the area, he rushed to the spot. On reaching there, he found about six to seven criminals armed with lethal weapons; iron rods, lathis and a country-made revolver. Notwithstanding the strength of the criminals and in disregard of personal safety, Shri Gurung challenged the criminals single handedly and captured one of them. While he was grappling with the apprehended criminal, the remaining criminals brutally assaulted him till he fell down unconscious. Thereafter the criminals decamped leaving behind one back-saw blade which they had brought for cutting the pipelines.

Shri Kul Bahadur Gurung thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty and saved property from armed criminals in utter disregard to his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th July, 1980.



No. 72-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermnetioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

*Names and ranks of the Officers*

Shri Ram Sewak
Deputy Superintendent of Police
Circle Officer Mau,
District Azamgarh,
Uttar Pradesh.

Shri Lalta Singh,
Inspector of Police, Police Station, Mau,
District Azamgarh,
Uttar Pradesh.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

Dacoit Dharmoo Singh had created a reign of terrior in the area of Police Station Mau of Azamgarh district by committing dacoities and other heinous offences. On the 13th June, 1978, Shri Lalta Singh Inspector Incharge of Police Station, Mau, received information that dacoit Dharmoo Singh and his gang were present at the house of Dharmoo Singh's maternal uncle in village Bhadesara. Shri Lalta Singh immediately conveyed the information to Shri Ram Sewak who rushed to the village along with the Police force available locally. Near the village the Police force was divided into two parties one of which was headed by Shri Ram Sewak while the other was headed by Shri Lalta Singh. While Shri Ram Sewak proceeded to the hide-out of the dacoits from the western side, Shri Lalta Singh took his party from the southern side. Even though the police parties were proceeding very cautiously, Dharmoo Singh got wind of the police presence and opened fire on them, when the police party came within striking distance of the dacoits. In disregard of the firing Shri Ram Sewak and Shri Lalta Singh pressed on and bravely led their men. The firing continued for some time and thereafter there was a lull. On cautious advance, the dead bodies of dacoit Dharmoo Singh and his main lieutenant Ache Lal were found. The other members of the gang escaped.

Shri Ram Sewak, and Shri Lalta Singh thus exhibited conspicuous gallantry, leadership, courage and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th June, 1978.

No. 73-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

*Name and rank of the officer*

Shri Gurdial Singh (*Posthumous*)
Constable No. 412,
District Ferozepur,
Punjab.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 21st September, 1977, Shri Gurdial Singh, Constable, District Ferozepur, accompanied a police party which was deputed to village Ghanga Kallan in Ferozepur district in connection with excise raids. On reaching near Saim-nala of the village, the raiding party was split up and all the members marched at a distance of 50/50 yards from each other. Some of them had reached their Nakabandi points. In the mean time one person carrying a 'gandasa' and a satchel appeared from the village side and on seeing the police he started running towards the bridge of Saim-nala. Doubting the intention of the fleeing villager, Shri Gurdial Singh took courage and without loss of any time followed the suspect. On reaching the bridge of Saim-nala he approached the villager who threw away his satchel and gave a gandasa blow on the head of Constable Gurdial Singh as a result of which he fell down. The accused gave 2/3 more gandasa blows on the body of Constable Gurdial Singh with a view to kill him. The other members of the police party were at a distance from Constable Gurdial Singh and could not come to his rescue. Before they could assemble the accused made good his escape.

Shri Gurdial Singh thus exhibited gallantry, courage and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st September, 1977.

No. 74-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Greater Bombay Police :—

*Name and rank of the officer*

Shri Sadashiv Laxmanrao Patil,
Sub-Inspector of Police,
Greater Bombay,
Maharashtra.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 21st September, 1980, at about 10-15 p.m. Shri Sadashiv Laxmanrao Patil, Sub-Inspector of Police, Greater Bombay, received information that two desperate criminals, namely, Alamzeb Zangrez Khan and Amirzada Amir Nawab who had been externed from Bombay for a period of two years had returned and had been seen in the locality of Surti Mohalla in the limit of Nagapada Police Station. Shri Patil immediately rushed to Surti Mohalla along with two Inspectors of Police, one Sub-Inspector and a Constable. They combed the area but could not find the externees. They searched other likely haunts of the criminals but their search proved futile. They however, decided to make another search for the criminals in Surti Mohalla. When they were on their way to Surti Mohalla Shri Patil noticed Alamzeb walking stealthily along Maulana Shaukat Ali Road. The Police party rushed towards Alamzeb. On seeing the police officers coming towards him, Alamzeb started running towards the area known as Two Tanks. Finding Shri Patil closing upon him, the criminal whippped out a revolver from his pocket and fired two rounds towards the Police Sub-Inspector. However, Shri Patil remain undeterred and continued chasing the criminal, took out his revolver and fired two rounds at Alamzeb. Shri Patil then jumped on the criminal and hit him on his right hand and snatched the revolver. The criminals then snatched a lathi from the Police constable and hit Shri Patil on his knee and left hand. Unmindful of the injuries, Shri Patil did not lose his hold on the criminal who was arrested by other officers.

Shri Sadashiv Laxmanrao Patil thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

2 This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st September, 1980.

No. 75-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

*Name and rank of the officre*

Shri Sita Ram Pande, *(Posthumous)*
Constable No. 569 CP,
Fatehgarh,
Uttar Pradesh,

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 29th August, 1979, a police party headed by Shri Jumuna Singh and Shri Dasrath Singh, Sub-Inspectors of Police, proceeded towards village Midya with a view to apprehend dacoits Sobran Singh and Vishram Singh and other members of their gang. While Vishram Singh was arrested, the other members of the dacoit gang managed to escape. Vishram Singh was taken to police out-post Sakrava. When the police personnel were proceeding towards police out-post Dadauni on their bicycles, they were way-laid by the associates of Vishram Singh Dacoit Sobran Singh challenged the police party and opened fire on them. The policemen got down from their bicycles, took positions and opened fire on the dacoits in self-defence. Dacoit Sobran Singh who was accompanied by 8 or 9 other dacoits kept on firing intermittently. Constable Sita Ram Pande, fully realising the gravity of the situation and without caring for his own life advanced cautiously challenging the dacoits. When he had advanced a good distance, he received a gun shot injury on his forehead and collapsed. He was rushed to the hospital but he succumbed to his injury on the way.

Shri Sita Ram Pande thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th August, 1979.

No. 76-Pres/81.—The President is pleased to approve the award of ASHOKA CHAKRA for most conspicuous bravery to :—

2/Lieutenant CYRUS ADDIE PITHAWALLA (SS 30122) 17, JAK RIFLES.

*Effective date of the award : 6th July* 1981.

On 6th July, 1981, 2/Lieutenant Cyrus Addie Pithawalla while in command of Company Column 17 JAK Rifles was ordered to cordon and search area Tekcham in Manipur and to capture armed extremists reported to be there.

2/Lieutenant Pithawalla led his men through marshy and difficult terrain for over seven kilometres. When he was about 200 metres from the Tekcham Hill, he drew fire from the extremists there. With total disregard to personal safety, the officer charged on the extremists with lightening speed. When he was just 50 metres short of the area, he found an extremist trying to escape. Although, he could have shot the individual dead, he decided to capture him alive. While nearing the fleeing extremist, 2/Lieutenant Pithawalla was wounded in the right shoulder by a gun shot from the extremists. Despite his serious injury, he personally led the charge and captured the extremist who turned out to be one Bisheshwar Singh, the top-most leader of the PLA. In spite of his serious condition, he refused to be evacuated and led his men in a combing operation till 6.00 a.m. the next morning. These operations resulted in the death of seven extremists and capture of a very large quantity of arms and ammunition.

2/Lieutenant Cyrus Addie Pithawalla thus displayed bravery of the highest order and extraordinary and inspiring leadership.

No. 77-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

*Name and rank of the officer*

Shri Sridhar Mandal,
Sub Inspector of Police,
Dhanbad, Bihar.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 12th March, 1979, at about 19.05 hours, information was received by Jharia Police Station that dacoity was being committed in the house of Shri Keshar Sonar of Poddarpara. Inspector Shri R. N. Singh rushed to the place of incident with Police parties, one headed by himself and the other by Shri Sridhar Mandal, Sub-Inspector. Shri Mandal reached the place of occurrence first along with his team and challenged the dacoits. One of the dacoits aimed his gun at Shri Mandal and opened fire but the latter managed to dodge the shot. In retaliation, Shri Mandal fired from his revolver and hit the dacoit who screamed. The dacoits threw three bombs at the Police party. In the meantime, Shri R. N. Singh also arrived at the place of incident. Two dacoits who were present outside the house shouted to the other members of the gang that the police had arrived. One of the dacoits who had been injured by Shri Mandal tried to run away but Shri Mandal pounced upon him and grappled with him. Shri Mandal was successful in recovering a country-made fire-arm with cartridges and spring knife from the dacoits but the dacoit managed to escape from his grip. Shri Mandal was severely hit on his forearm. The rest of the dacoits also opened fire on the police while trying to escape but the police continued chasing them. The dacoit injured by Shri Mandal was subsequently arrested. A small stainless steel box with gold jewellery and several pieces of ornaments were recovered from him.

Shri Sridhar Mandal thus exhibited conspicuous gallantry, leadership, courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the police medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th March 1979.

New Delhi, the 31st December 1981

No. 78-Pres./81.—The Police Medal for meritorious service awarded, on the occasion of Republic Day, 1979, to Shri Subbu Naidu Sethuramaswamy, Inspector of Police, Madurai South, Tamil Nadu *vide* President's Secretariat Notification No. 2-Pres./79, dated 26th January, 1979, published at page 78 of Part I Section 1 of the Gazette of India dated 3rd February, 1979 is hereby cancelled and in its place the President has been pleased to award to the said Shri Subbu Naidu Sethuramaswamy the Bar to Police Medal for meritorious service.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.
to the President.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th December 1981

No. 13019/1/81-GP.II.—In supersession of this Ministry's notification of even number dated the 12th October, 1981, the President is pleased to constitute the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Chandigarh for a period of one year from 1st December 1981 to 30th November 1982, with the following members :—

1. Chief Commissioner, Chandigarh Administration.
2. Member of Parliament, Shri Jagan Nath Kaushal, 221/9-C Chandigarh.
3. Vice-Chancellor, Panjab University.
4. Director P.G.I.
5. Shri Bhopal Singh, No. 2018, Sector 20-C, Chandigarh.
6. S. Joginder Singh Sawhney, No. 564, Sector 18-B, Chandigarh.
7. Shri Siri Chand Goel, Ex-M.P. Sector 10, Chandigarh.
8. Shri Hardev Singh Chhina, Sector 20, Chandigarh.
9. Shri Kedar Nath Sharma.
10. Shri Harbhajan Singh Osahan, No. 373, Sector 20-A, Chandigarh.
11. Shri Daulat Ram Sharma.
12. Shri Chaman Lal Sharma, Advocate, Income Tax Practitioner, Chandigarh.
13. Shri Sardul Singh, Vilkhu, No. 235, Sector 19-A, Chandigarh.
14. Shri B. P. Behal.
15. Mrs. Ravi Lal W/o Shri Tarsem Lal, No. 2163, Setcor 35, Chandigarh.
16. S. Lachhman Singh (Saini), Sector 20, Chandigarh.
17. Mrs. Pritpal Kaur Vasu, Ex-M.L.C., 86, Sector 2, Chandigarh, General Secretary All India Woman's Conference, Punjab Branch.
18. Shri Dharamvir Sehgal, Advocate, President High Court Bar Association.
19. Shri Pritam Singh, Industrialist, No. 68, Sector-8, Chandigarh.
20. Mrs. Shakuntla Bhatia, No. 313, Sector 9-D, Chandigarh.
21. Shri Sukhwant Singh, President, Small Industrialist Association, No. 1136, Sector 34, Chandigarh.
22. Dr. J. B. O. Castro, No. 4, Sector 20-A, Chandigarh.
23. Sh. Jaswant Singh, President, Secretariat Subordinate Services Employees Association, Chandigarh.
24. Shri Amarjeet Singh Sethi, Chandigarh.
25. Dr. Harivansh Sharma, Ayurvedic (Ph.D) Sector 22-C, Chandigarh.
26. Shri Harbilas Rai Bansal, Bansal Motors, Sector 28, Chandigarh.

S. C. SHARMA, Dy. Secy.

## MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 16th December 1981

RESOLUTION

No. 14016/1/77-PC.III.—A National Committee on the Use of Plastics in Agriculture under the Chairmanship of Dr. G. V. K. Rao, former Member Planning Commission was constituted by the Government of India vide Resolution published in the Gazette of India (Extraordinary) Part I, Section 1, dated 7th March, 1981. Government have since decided to include the following as members of the above Committee :—

1. Shri M. Shankaranarayanan Joint Secretary, Department of Agriculture, New Delhi.
2. Shri M. C. Verghese, Consultant, Chemical Engineer, 60, Taylors Road, Kilpauk, Madras-600010
3. Dr. K. Aghoramurthy, Adviser (Chemicals & Petrochemicals), Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers, New Delhi, *vice* Shri S. S. Sachdeva former Adviser (Petrochemicals) in the Department of Petroleum.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resoluiton be communicated to all the State Governments, Union Territories Administration, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Deparmtents of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. P. GUPTA, Director.

## MINISTRY OF STEEL & MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 10th December 1981

CORRIGENDUM

No. F. 23012/99/80-MVI.—In this Ministry's Resolution No. F. 23012/99/80-MVI dated the 12th June, 1981, published in the Gazette of India, Part I Section (1) dated 11th July, 1981 at page 484 in Sub-para (i) *for* the figure '7' *read* '1'.

A. K. VENKATA SUBRAMANIAN, Director.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 24th November 1981

RESOLUTION

No. 1-1/81-LDT.—Government of India have had under consideration for some time past the matters relating to equine development and policies to be adopted in that behalf. For bringing about a proper coordination between the equine breeders, the users, scientists and other concerned, the Gov-

ernment of India have decided to constitute the Equine Development Board with effect from 1st November 1981. The Board would be an advisory body and would advise Government on matters relating to equine development, registration of equine breeding studs and advise on importation of horses by these stud breeding farms and exercise control on race horse and other horse breeding.

2. The composition of the Equine Development Board will be as under :—

I. *Chairman*

Minister of Agriculture, Government of India

II. *Vice-Chairman*

Minister of State for Agriculture
(Incharge Animal Husbandry)

III. *Members*

1. Secretary (Agriculture & Cooperation)
2. Additional Secretary—
Incharge Animal Husbandry & Trade.
3. Animal Husbandry Commissioner
4. Deputy Director General (Animal Sciences), ICAR
5. Director, Remount Veterinary Corps.
6. Director, Animal Husbandry, Gujarat
7. Director, Animal Husbandry, Rajasthan
8. Director, Animal Husbandry, Haryana
9. President, National Horse Breeding Society,
10. President, Royal Western India, Turf Club.
11. President, Royal Calcutta Turf Club, Calcutta.
12. General P. P. Kumarmangalam, Sunny Land Livestock & Agriculture Farms Dharmapuri (Tamilnadu)
13. Lt. Gen. M. S. Wadalia, Qutab Stud Farm, Delhi.
14. Maj. Gen. E. Habibullah, Phoenix Stud Saidinpur, Lucknow
15. Sardar Harpal Singh, President Haryana Pradesh Congress Committee, Chandigarh
16. Shri Z. S. Poonawala, Poona Stud Farm Manjri Poona.

IV. *Member-Secretary*

Joint Commissioner (Livestock Production)

Members of Serial Nos. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 and 16 shall be members of the Board for a period of 2 years. The membership shall rotate between Directors of Animal Husbandry for positions at S. Nos. 6, 7 and 8 and between prominent horse breeders for positions at S. Nos. 13, 14, 15 and 16.

3. Government of India may nominate from time to time additional members represent interest not already represented on the Board.

4. The Board will be an advisory body and will have following functions :—

A. to advise the Government on all matters relating to the development of equines;

B. to register equine breeding studs in the country. Based on this registration, importation of horses by studs may be considered.

C. to exercise technical control on breeding of race horses and other organised horse breeding activities in the country and to enforce registration of private studs so as to enable the Ministry to effectively coordinate all aspects pertaining to horse breeding for different purposes;

D. to assess fresh blood requirement of exotic stock and arrange import of horses;

E. to suggest steps for maximising utilisation of imported and other high quality horses and horses not required for racing, for upgrading general utility horses;

F. to encourage establishment of stud farms for production of high quality horses for meeting requirements of the country as well as for export; and

G. any other function which may from time to time be assigned by the Government of India to the Board.

5. The Board will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

6. The Board may, by Resolution, appoint Committees for advising it in connection with problems relating to Equine Development.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Pradhan Mantri Sachivalaya, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. S. ACHARYA, Addl. Secy.

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS
## (POSTS AND TELEGRAPHS BOARD)

New Delhi-110001, the 7th December 1981

No. 26/6/78-LI.—The President hereby directs that, with immediate effect, the following further amendments shall be made in the Post Office Insurance Fund Rules namely :—

In Rule 19 of the Post Office Insurance Fund Rules :—

(a) in Clause (i), for the words and figures "For insurance of less than Rs. 10,000" the words and figures "For insurance upto and including Rs. 10,000" shall be substituted.

(b) in Clause (ii) for the words and figures "For any insurance of Rs. 10,000 and above", the words and figures "For an insurance above Rs. 10,000" shall be substituted.

(c) in Note 2, for the words and figures "For an insurance of Rs. 10,000 and above" the words and figures "For an insurance above Rs. 10,000" shall be substituted.

(d) For note 3, the following Note shall be substituted namely :—

"Note 3.—A female proposer should be medically examined by a woman medical officer of corresponding rank except that in the case of proposal for over Rs. 10,000 she should be examined by a woman medical officer who should also possess medical qualifications included in the First Schedule or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956. If a woman medical officer of the prescribed rank or qualifications is not available at the station or in the district, the female proposer may be examined, after obtaining her written consent, by a male medical officer of the corresponding rank and possessing the prescribed qualifications."

M. R. ISSARANI, Director (PLI).

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
## INLAND WATER TRANSPORT DIRECTORATE

New Delhi-110 001, the 15th December 1981

SUBJECT :—Setting up of a Committee to go into the working hours of the floating staff of Central Inland Water Transport Corporation.

No. 9-IWT(18)/80-C&E.—The Chairman of the Committee has approach this Ministry of extending the term of the Committee upto 7th December, 1981. The matter has been considered and it has been decided that para 5 of the Resolution No. 9-IWT(18)/80C&E dated 12-12-1980 as amended by Resolution of even number dated 17th Feb. 1981, 25th April 1981, 29th/30th October 1981 and 7th November 1981 will be substituted by the following entry :—

The tenure of the Committee will expire on 7th December 1981.

YASHWANT SINHA, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 23rd October 1981

RESOLUTIONS

No. RRB-I/80/21/72.—In continuation of Ministry of Railways (Railway Board's) Resolution No. ERB-I/80/21/72 dated 10th February 1981, the Government of India have nominated further the following as the Member of the 'Programme Implementation Committee' :

Smt. Manjula Singh,
'Prachar Mantri—Bihar Rajya Rashtriya Lakheke Mamch'
2/26, Rajendra Nagar Market,
Patna-8.

2. It is also notified that Shri B. N. Tewari, a member of the above Committee as nominated vide Resolution No. ERB-I/80/21/72 dated 10th February 1981 has since deceased.

The 30th October 1981

No. ERB-I/80/21/72.—In continuation of Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution No. ERB-I/80/21/72, dated 10th February 1981, the Government of India have nominated further the following as the Member of Programme Implementation Committee :

Shri Arvind Pati Tripathi
Dawarpar,
Distt. Gorakhpur.

HIMMAT SINGH, Secy., Railway Board and ex-officio Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982